Frequently Asked Questions

प्रश्न 01 :– विशेष जॉच मुख्यालय गठित करने का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में प्रभावी नियंत्रण एवं उन्हें सुरक्षा/राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष–1973 में विशेष जांच मुख्यालय की स्थापना पुलिस उपमहानिरीक्षक के नियंत्रण/अधीन की गयी। वर्ष–1983 से यह मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, वर्ष–1994 से अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच उ0प्र0 के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्यरत है।

प्रश्न 02 :– विशेष जॉच मुख्यालय कहॉ स्थित है ?

उत्तर :–विशेष जॉच मुख्यालय राजधानी लखनऊ में जवाहर भवन के नवें तल पर स्थित है ।

प्रश्न 03 . विशेष जॉच मुख्यालय व उसमें नियुक्त अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर क्या है ?

उत्तर :–

अपर पुलिस महानिदेशक–	9454400130
पुलिस महानिरीक्षक–	9454400185
पुलिस उपमहानिरीक्षक–	9454400240
पुलिस अधीक्षक–	9454400343
अपर पुलिस अधीक्षक–	9454401204
पुलिस उपाधीक्षक–	9454401808
पुलिस उपाधीक्षक (मु0) –	9454401810
कन्ट्रोल रूम नम्बर –	0522–2286468
पी0ए0वी0एक्स0 नं0–	945440–2553
फैक्स–	0522–2286468
कार्यालय नम्बर–	0522–2287658

प्रश्न 04. संविधान के किन अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की संरक्षा एवं अभिवृद्वि हेतु विशेष प्राविधान है?

उत्तर :– समाजिक संरक्षण :––

अनुच्छेद–17: इस अनुच्छेद के द्वारा ' अस्पृश्यता का अंत करते हुए इसका आचरण निषिद्व किया गया है ।

अनुच्छेद–25(2)(ख) में सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक, संस्थाओं के हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने की व्यवस्था की गयी है ।

अनुच्छेद–338 : अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा, जो इन जातियों से सम्बन्धित अधिकारों एवं शिकायतों एवं हितों का संरक्षण करेगा तथा 338(क) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जायेगा, जो इन जातियों से सम्बन्धित अधिकारों एवं शिकायतों एवं हितों का संरक्षण करेगा ।

अनुच्छेद–339 : अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग राज्य स्तर पर गठित किया जायेगा, जो इन वर्गों की शिकायतों,अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करेगा ।

(2) आर्थिक संरक्षण :–

अनुच्छेद–46 : राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्वि करने और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

(3) शैक्षिक और सांस्कृतिक संरक्षण :–

अनुच्छेद–15(4) व 15(5) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु शैक्षिक व सामाजिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किये गये है ।

(4) राजनैतिक संरक्षण :–

अनुच्छेद–243 (घ) : प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु आरक्षण के प्रावधान किये गये हैं ।

अनुच्छेद–243 (न) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु आरक्षण को प्रावधान किये गये है ।

अनुच्छेद–330 : राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

(5) नियोजन सम्बन्धी संरक्षण :–

अनुच्छेद–16 (4)(क) व 16 (4)(ख) में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान किये गये है ।

अनुच्छेद – 335 : संघ व किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदो के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा ।

<u>प्रश्न 05</u>. संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है ?

<u>उत्तर</u> :– संविधान के अनुच्छेद 17के अनुसार–''अस्पृश्यता'' का अंत किया गया है ।

प्रश्न 06. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कब पारित हुआ ?

उत्तर :– संसद द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में पारित किया गया।

<u>प्रश्न 07</u>. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 को कियान्वित करने के संबंध में नियमावली कब बनी ?

<u>उत्तर</u> :– भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995 में बनाई गई ।

<u>प्रश्न 08</u>. ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति '' संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है ?

<u>उत्तर</u> :–संविधान के अनुच्छेद 366(24)व अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति तथा अनुच्छेद 366(25) व 342 अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है ।

<u>प्रश्न 09</u>. किन जनपदों में शासन द्वारा विशेष जॉच प्रकोष्ठ हेतु स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

<u>उत्तर</u> :– उत्तर प्रदे ा के निम्नांकित 20 जनपदों में शासन द्वारा विशेष जॉच प्रकोष्ठ हेतु स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

1– लखनऊ 2– हरदोई 3–सीतापुर 4– रायबरेली 5– उन्नाव 6– गोण्डा 7–बहराइच 8–बाराबंकी 9–सुल्तानपुर 10–फतेहगढ़ 11–इटावा 12– बांदा 13–जालौन 14–बस्ती 15– गोरखपुर 16–आजमगढ़ 17– बदायूँ 18– मेरठ 19–वाराणसी 20–आगरा । अन्य सभी जनपदों में विशेष जॉच प्रकोष्ठ कार्यरत है । उनके स्टाफ की स्वीकृति हेतु प्रयास किये जा रहे है ।

<u>प्रश्न 10</u>. जनपदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है ?

<u>उत्तर</u> :– कम से कम पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी ही उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना कर सकता है ।

<u>प्रश्न 11</u>. जनपदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक पद पर शासनादेश के अनुसार नियुक्ति हेतु क्या प्राविधान है ?

<u>उत्तर</u> :– उ0प्र0 के जनपदों के थानों में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 02 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किए जाने का प्राविधान है।

<u>प्रश्न 12</u>. उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय गठित है ?

<u>उत्तर</u> :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा–14 के अन्तर्गत प्रदेश के 40 जनपदों में विशेष न्यायालय गठित है, अन्य जनपदों में जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वारा उत्पीड़न संबंधी मामलों की सुनवाई का कार्य किया जाता है ।

<u>प्रश्न 13</u>. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न संबंधी मामलों की विवेचना कितने दिनों में समाप्त हो जानी चाहिए?

<u>उत्तर</u> :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 7(2) के अनुसार विवेचक द्वारा विवेचना उच्च प्राथमिकता के आधार पर 30 दिन के भीतर पूरी की जाएगी । यदि विवेचना 30 दिन के अन्दर पूरी नहीं होती है तो पुलिस अधीक्षक से विवेचक द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की जाएगी ।

<u>प्रश्न 14</u>. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विवेचना में तथा अन्य संरक्षण कार्य में लोक सेवक द्वारा कर्त्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड का क्या प्राविधान है ?

उत्तर :– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम, 1989 की धारा–4 के अर्न्तगत कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा , वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

प्रश्न 15. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की समस्याओं के निराकरण के लिये केन्द्र व राज्य स्तर पर किन आयोगों का गठन किया गया है ?

उत्तर :–केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग–अलग गठित किये गये हैं एवं उ0प्र0 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

प्रश्न 16. किस–किस स्तर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने व अभियोजन आदि की मॉनीटरिंग हेतु समितियों का गठन किया गया है ?

उत्तर :–**प्रदेश में तीन स्तरों पर सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों का गठन किया गया हैं,**

(1) मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन

(2) जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन ।

(3) उप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन ।

प्रश्न 17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता देने का क्या प्रावधान है ?

उत्तर :– अनुसूचित जातितथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारनिवारण) नियमावली, 1995 के नियम धारा 12 (4) के अनुसार आर्थिक सहायता निम्न रूप से दिये जाने का प्रावधान है ।

	अपराध का नाम	राहत ही न्यूनतम रकम
(1)	(2)	(3)
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना (धारा 3(1)(i)	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और उसकी गम्भीरता को देखते हुए 90,000/– रूपए या उससे अधिक और जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति और मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा । दिया जाने वाले भुगतान निम्नलिखित होगा – 1– 25 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पत्र भेजा जाये । 2– 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोश सिद्व ठहराया जाए ।
2	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना (धारा 3(1)(ii)	
3	अनादर सूचक कार्य (धारा 3(1)(iii)	

4	सदोष भूमि को अभियोग में लेना या भूमि पर कृषि करना आदि (धारा 3(1)(iv)	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए कम से कम 90,000/– रूपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहॉ आवश्यक हो, सरकार के खर्च पर पुनः वापस की जायेगी । जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये पूरा भुगतान किया जाये ।
5	भूमि/परिसर या जल से संबंधित (धारा 3(1)(v)	
6	बेगार या बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी (धारा 3(1)(vi)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 90,000/– रूपए प्रथम सूचना रिपोर्ट होने की अवस्था में 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्व होने पर ।
7	मतदान के अधिकार के संबंध में (धारा 3(1)(vii)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति से 75,000/– रूपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है ।
8	मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही (धारा 3(1)(viii)	90,000/–रूपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो ।
9	मिथ्या या तुच्छ जानकारी (धारा 3(1)(ix)	
10	अपमान,अभित्रास और अवमानना (धारा 3(1)(x)	अपराध के स्वरूप पर निर्भर रहते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 90,000/– रूपये तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजाजाये और शेष दोषसिद्व होने पर ।
11	किसी महिला की लज्जा भंग करना (धारा 3(1)(xi)	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,80,000/– रूपए , चिकित्सा जॉच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाये और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाये ।
12	महिला का लैंगिक शोषण (धारा 3(1)(xii)	
13	पानी गंदा करना (धारा 3(1)(xiii)	3,50,000/–रूपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाये तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझाा जाये, भुगतान किया जाये ।

14	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना (धारा 3(1)(xiv)	3,75,000/– रूपए तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्व होने पर ।
15	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना (धारा 3(1)(xv)	स्थल बहाल करना, ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 90,000/– रूपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निमाण, यदि नष्ट कर किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाये ।
16	मिथ्या साक्ष्य देना धारा 3(2)(i)और(ii)	क्म से कम 3,75,000/– रूपए या उठाये गये नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्व होने पर ।
17	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना धारा 3(2)(v)	अपराध के स्वरूप व गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,80,000/– रूपए यदि अनुसूची में विशिष्ट । अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो उस राशि में अन्तर होगा ।
18	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़ित धारा 3(2)(vii)	उसी प्रकार से भुगतान किया जाये जिस प्रकार से यदि अभियुक्त लोक सेवक न हो ।
19	निःशक्तता– निःशक्तता की परिभाषा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशा निर्देश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01. 06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या–154, समय समय पर यथासंशोधित में अंतर्विष्ट होगी । अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध–2 पर संलग्न है । (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाले सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 3,75,000/– रूपए 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप–पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्व होने पर ।
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 7,50,000/– रूपए 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट या चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाये और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्व होने पर ।

	(ख) जहॉ असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है ।	परन्तु यह कि अपराध के प्रत्येक पीडित का परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से 60,000/– रूपये से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से 1,20,000/– रूपये से अन्यून रकम की कमी की जाएगी ।
20	हत्या/मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 3,75,000/– रूपए । 75प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्व होने पर।
21	हत्या, मृत्यु, नरसंहार–बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित ।	उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गयी राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :– (i)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 4,500/– रूपए प्रतिमाह की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा । (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण पोषण का पूरा खर्च/बच्चों को आश्रय के विद्यालयों एवं आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाये । (iii) तीन मास की अवधि के लिए बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों , दलहनों आदि की व्यवस्था ।
22	पूर्णतया नष्ट करना या जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया है या नष्ट किया गया हो । वहां सरकार के खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाये या उसकी व्यवस्था की जाये ।

<u>प्रश्न 20</u>. शासन के किस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उत्पीड़न होने की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ?

<u>उत्तर</u> :– समाज कल्याण विभाग द्वारा ।

<u>प्रश्न 21</u>. उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोग वर्णित हैं ?

<u>उत्तर</u> :–नवीनतम शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची इस प्रकार हैं :–

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.अगरिया(जिला सोनभद्र को छोड़कर) 2.बधिक, 3.बादी, 4.बहेलिया 5.बैगा (जिला सोनभद्र को छोड़कर) 6.बैसवार, 7.बजनिया, 8.बाजगी 9.बलहर 10.बलयी 11.बाल्मीकि 12.बंगाली 13.वनमानुष 14.बांसफोर 15.बरवार 16.बसोड, 17.बावरिया 18.बेलदार 19.बेड़िया 20.भांतू, 21.भुईया(जिला सोनभद्र को छोड़कर) 22.भुइयार 23.बोरिया 24.चमार,धूसिया,झुसिया, जाटव 25.वीरो(जिला सोनभद्र एवं वाराणसी को छोड़कर) 26.दबगर 27.धांगर, 28.धानुक, 29.धरकार, 30.धोबी, 31.डोम, 32.डोमर,	1.थारू 2.बोक्सा 3.भोटिया 4.राजी, 5.जौनसारी 6. गोंड,धूरिया,नायक,ओझा,पठारी,राजगोंड (जिला महराजगंज,सिद्वार्थनगर,बस्ती,गोरखपुर, देवरिया,मऊ,आजमगढ़,जौनपुर,बलिया, गाजीपुर,वाराणसी,मीरजापुर और सोनभद्र में) 7. खरवार,खेरवार(जिला देवरिया, बलिया,गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में) 8. सहरिया (ललितपुर जिले में) 9. पहड़िया(सोनभद्र जिले में) 10. बैगा (सोनभद्र जिले में) 11. पंखा,पनिका(सोनभद्र एवं मीरजापुर जिले में 12. अगरिया(सोनभद्र जिले में) 13.पतरी (सोनभद्र जिले में) 14.चेरी(सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में) 15.भुइया, भुईयां(सोनभद्र जिले में)

33.दुसाध, 34.धरमी, 35.धसिया 36.गोंड,(जिला महराजगंज, सिद्वार्थनगर,बस्ती, गोरखपुर देवरिया,आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ,गाजीपुर, वाराणसी मिर्जापुर और सोनभद्र को छोड़कर) 37.ग्वाल 38.हबूड़ा 39.हरी 40.हेला 41.कलाबाज 42.कंजड़ 43.कपड़िया 44.करवल 45.खरैता, 46.खरवार(बनवासीकोछोड़कर)(जिलादेवरिया,बलिया, गाजीपुर वाराणसी और सोनभद्र को छोड़कर) 47.खटिक 48.खरोट 49.कोल 50.कोरी 51.कोरवा 52.लालबेगी 53.मझवार, 54.मजहबी 55.मुसहर 56.नट 57.पंखा(जिला सोनभद्र और मिर्जापुर को छोड़कर) 58परहिया (जिला सोनभद्र को छोड़कर) 59.पासी,तरमाली 60.पतरी, (जिला सोनभद्र को छोड़कर) 61.रावत, 62.सहरिया,(जिला ललितपुर को छोड़कर) 63.सनोरिया, 64.सांसिया, 65.शिल्पकार 66.तुरैहा	

<u>प्रश्न 22.</u> उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण कौंन हैं ?

<u>उत्तर</u> :– उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष तथा पन्द्रह सदस्य हैं । जिनके दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर निम्नवत् हैं :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1.	**श्री राम दुलार राजभर**	**अध्यक्ष**	0522–2287231 मो0 नं0–9451552095
2.	(1) श्री मुकेश सिद्वार्थ,	**उपाध्यक्ष**	0522–2287230 मो0 नं0– 9918507646
3.	(2) श्री व्यासजी गौंड	**उपाध्यक्ष**	0522–2287230 मो0 नं0– 9897955063
4.	श्री प्रदीप कुमार (पी.के.वर्मा)	**सदस्य**	0522–2288348 / 2287217 मो0 नं0–9415175552,9839520495
5.	श्री संजय कुमार पहलवान	सदस्य	मो0 नं0– 9415692521
6.	श्रीमती शारदा राज	सदस्य	मो0 नं0– 9935796477
7.	श्रीमती विद्यासिंह भारती	सदस्य	मो0 नं0–9452959529
8.	श्री राकेश कठेरिया	सदस्य	मो0 नं0– 9450932979,9695863798
9.	श्रीमती सना परवीन	सदस्य	मो0 नं0–8960853416
10.	श्री गौरवदयाल बाल्मिकी	सदस्य	मो0 नं0–9458281613,9412576413
11.	श्री राजकुमार प्रजापति	सदस्य	मो0 नं0–9411266111
12.	श्री संजय कुमार सविता ''संजय विद्यार्थी ''	सदस्य	मो0 नं0–9415057911,9838347911
13.	श्री नरेश शंखवार	सदस्य	मो0 नं0–9456240462
14.	श्री रमेश प्रजापति	सदस्य	मो0 नं0–9412122210,9720902966
15.	कु0 किरन आर.सी.जाटव	सदस्य	मो0 नं0–8954204060,9759309590
16	श्री सुरेन्द्र सिंह नायक	सदस्य	मो0 नं0–9412397425,9760077463
17	श्रीमती कौशल्या प्रजापति	सदस्य	मो0 नं0– 9918325234
18	श्री सागर धानुक	सदस्य	मो0 नं0– 98896555531, 9532031290

<u>प्रश्न 23</u>. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब गठित हुआ । माननीय अध्यक्ष कौन हैं तथा सदस्यों की संख्या क्या है ? आयोग दिल्ली में कहॉ पर स्थित है?

<u>उत्तर</u> :– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन दिनांक 19.02.2004 में हुआ ।जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री पी0एल0पुनिया एवं उपाध्यक्ष श्री राजकुमार वरका हैं इसके अतिरिक्त आयोग में 03 अन्य सदस्य हैं । आयोग पंचम तल, लोकनायक भवन,खान मार्केट– नईदिल्ली में स्थित है । जिनके दूरभाष एवं फैक्स नम्बर निम्नवत् हैं :–

क0सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1	**श्री पी0एल0पुनिया**	**अध्यक्ष**	011–24620435,24606802
2	श्री राजकुमार वरका	उपाध्यक्ष	011–24654105,24606828
3	श्री राजू परमार	सदस्य	011–24624801,24606826
4	श्री ईश्वर सिंह	सदस्य	011–25623266,24606833
5	श्रीमती पी0एम0कमलाम्मा	सदस्य	011–24626061,24606836
			फैक्स नं0–011–24694743

<u>प्रश्न 24</u>. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब गठित हुआ तथा माननीय अध्यक्ष कौंन है तथा सदस्य कितने है । आयोग दिल्ली में कहॉ पर स्थित है?

<u>उत्तर</u> :– राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन दिनांक 19.02.2004 में हुआ जिसके वर्तमान अध्यक्ष डॉ0 रामेश्वर ओरांव तथा उपाध्यक्ष श्री रविठाकुर हैं इसके अतिरिक्त आयोग में तीन सदस्य हैं जिनके पद रिक्त हैं । आयोग षष्ठम् तल, बी विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट–नईदिल्ली 110003 में स्थित है । जिनके दूरभाष एवं फैक्स नम्बर निम्नवत् हैं :–

क0सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1	**डॉ0 रामेश्वर ओरांव**	**अध्यक्ष**	011–24635721 फैक्स नं0–011–24624628
2	श्री रविठाकुर	उपाध्यक्ष	011–24657272,24657474
3	रिक्त	सदस्य	011–24623958
4	रिक्त	सदस्य	011–24646954
5	रिक्त	सदस्य	011–24654826

<u>प्रश्न 25</u>. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का रीजनल कार्यालय कहॉ है , आयोग के सहायक निदेशक कौंन हैं ,टेलीफोन नम्बर क्या है ?

<u>उत्तर</u> :– उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का रीजनल कार्यालय, पंचमतल केन्द्रीयभवन सेक्टर–एच अलीगंज लखनऊ– 226024 में स्थित है तथा आयोग के सहायक निदेशक श्री तरूण खन्ना हैं जिनका दूरभाष नं0 0522–4073902, 2330288, 2323860 है।